प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 13.07.2026

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 37 पुड़िया अवैध स्मैक के साथ 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री उमाशंकर त्रिपाठी*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान 01 अभियुक्त नाम पता प्रिंस सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र स्व0 रामअसर सिंह निवासी ग्राम बरईपार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर व 01 अभियुक्ता गोतरा देवी पत्नी गौतम निषाद निवासी शनिचरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को छपिया बीस विगहा स्कूल के पास से 37 पुड़िया अवैध स्मैक के साथ के गिरफ्तार कर आज दिनांक 13.07.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

01. प्रिंस सिंह उर्फ सोनू सिंह पुत्र स्व0 रामअसर सिंह निवासी ग्राम बरईपार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर

02. गोतरा देवी पत्नी गौतम निषाद निवासी शनिचरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर ।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 270/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 37 पुड़िया अवैध स्मैक (6.400 ग्राम)।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल**-* उ0नि0 श्री नन्दलाल, हे0का0 रमेश मिश्रा, हे0का0 अमित सिंह, हे0का0 अरविंद चौहान , का0 प्रवेश यादव, का0अमित कुमार यादव, का0अनूप यादव, म0का0कोमल दुबे, म0का0 अमृता सिंह।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6893 द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल–

पीआरवी 6893 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत राधे कृष्ण मन्दिर पायलपार से कालर द्वारा दो मोटरसाइकिल के आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01.अभिषेक पुत्र रघुवेन्द्र निवासी मलिहना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरगनर 02.जमाल अहमद पुत्र मोहर अली निवासी कर्री खास थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायलों को एम्बुलेस की सहायता से ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायलों को ईलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0का0 बृजेन्द्र यादव, का0 प्रिंस यादव, हो0गा0 अनिल पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 331 वाहनों से 405,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 13.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 331 वाहनों से 405,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए एनडीपीएस एक्ट में 01 अभियुक्त को 01 किलो 200 ग्राम अवैध गाँजा के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.07.2026 को 01 अभियुक्त नाम पता अभिषेक जायसवाल पुत्र राजकुमार जायसवाल निवासी छोटी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को कटहरिया पुलिया, शिवसरा के पास से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0स0 629/2026 धारा 8/20 NDPS एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

01. अभिषेक जायसवाल पुत्र राजकुमार जायसवाल निवासी छोटी सरौली थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी का विवरणः-

- कुल 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः- - उ0नि0 श्री विनय कुमार पाण्डेय, हे0का0 धर्मेन्द्र पाण्डेय, का0 मनीष प्रभात, का0 अनिल कुमार यादव।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गैर इरादतन हत्या के प्रयास मामले में 01 अभियुक्त को 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 13.07.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 07 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा व कुल 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

दिनाँक 17.06.2022 को वादी मुकदमा श्री जयराम निषाद पुत्र स्व0 शंकर निषाद निवासी बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर अभियुक्त रामू साहनी पुत्र स्व0 बलिराम साहनी निवासी बेलवनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादी की पत्नी इशरावती देवी पर बिना किसी कारण के कुल्हाडी से वार करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री लालजी यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 136/2022 धारा 308/323/326 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त रामू साहनी उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 308/323/326 भादवि के तहत दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा 308 भादवि के अपराध में 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 5000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 06 माह साधारण कारावास, धारा 326 भादवि के अपराध में 07 वर्ष सश्रम कारावास की सजा व 5000 रुपये के जुर्माना तथा जुर्माना न अदा करने पर 06 माह साधारण कारावास, धारा 323 भादवि के अपराध में 06 माह सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।